पत्र संख्या–6 / योजना–01–46 / 2016गृ0आ0........................ /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अगस्त, 2016

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा दल के लिए आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु लागत राशि ₹ 429.80 लाख (चार करोड़ उनतीस लाख अस्सी हजार रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 429.80 लाख (चार करोड़ उनतीस लाख अस्सी हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–614 / आधु0, दिनांक–09.06.2016 के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा दल के लिए आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु लागत राशि ₹ 429.80 लाख (चार करोड़ उनतीस लाख अस्सी हजार रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 429.80 लाख (चार करोड़ उनतीस लाख अस्सी हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है। उपकरणों की संख्या एवं प्रति अद्द दर निम्नलिखित हैः–

SI.	Name of Equipments	No. of Equipments	Estimated Rate per unit	Estimated Total cost ₹ In Lakh
1.	Satelite Phone	05	5.00	25.00
2.	Motorola voice ducer	30	0.60	18.00
3.	Telescope	10	0.10	1.00
4.	LED Dragon Light	08	0.35	2.80
5.	De-bugging equipments Bug tracker, RF detector, bug chaser and camera catchers (for sanitization from electronic bugs in an area VVIP arrivals.)	02	40.00	80.00
6.	Wireless tactical observation cameras	05	0.60	3.00
7.	Tactical blanket system	05	60.00	300.00
			Total	429.80
				(Four crore twenty nine Lakh Eighty Thousand Only)

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 429.80 लाख (चार करोड़ उनतीस लाख अस्सी हजार रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष–''2055–पुलिस–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढाँचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु'' विपत्र कोड–P2055001150102 एवं विषय शीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर, राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5416 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–6 / योजना–01–46 / 2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0–5 / टि0 पर दिनांक–22.08.2016 को प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6 / योजना–01–46 / 2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0–6 / टि0 पर दिनांक–30.08.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / योजना–01–46 / 2016गृ0आ0........7040........ / पटना, दिनांक 5/9 ~~अगस्त~~, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।